रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1994/फाल्गुन 4, 1915
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1994/PHALGUNA 4, 1915

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1994

वसा विस्तारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1993

सा०का०नि० 115 (अ).—वसा विस्तारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

कोई ऐसा व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आक्षेप करना चाहता है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपर्युक्त इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय सरकार कार्यालय, नया भवन, नेबरहुड, 4, फरीदाबाद (हरियाणा) -121001 को भेज सकता है, जो उसे केन्द्रीय सरकार को विचार करने के लिए भेजेगा ;

प्रारूप-नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वसा विस्तारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1993 है।

(2) ये भारत में उत्पादित वसा विस्तारण को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(2) "प्राधिकृत पैकर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसे, इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार वसा विस्तारण का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है;

(3) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(4) "वसा विस्तारण" से किसी जलीय प्रावस्था के और खाद्य तेलों तथा वसा की, जिसके अंतर्गत जांतव शरीर वसा नहीं हैं, किसी वसा प्रावस्था के तेल पायस में जल के रूप में उत्पाद अभिप्रेत है;

(5) "विजातीय पदार्थ" से इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय योज्यों और संघटकों से भिन्न कोई पदार्थ अभिप्रेत है, और

(6) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियां अभिप्रेत हैं।

3. श्रेणी अभिधान—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, श्रेणी अभिधान उन श्रेणियों के नाम होंगे जो अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तंभ 1 में दिए गए रूप में वसा विस्तारण की क्वालिटी उपदर्शित करते हैं।

4. क्वालिटी की परिभाषा—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, क्वालिटी की परिभाषा वह होगी जो अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तंभ 2 से स्तंभ 7 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न—श्रेणी अभिधान चिह्न में निम्नलिखित होगा—

(1) एक लेबल, जिस पर वस्तु का नाम, श्रेणी, अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची 4 में दिए गए डिजाइन के सदृश एक डिजाइन होगा जिसमें "AGMARK" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र और "PRODUCE OF INDIA" तथा "भारतीय उत्पाद" शब्दों के साथ उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा; या

(2) "AGMARK" "ऐगमार्क" प्रतिकृति, जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र का सम्यक् सम्मिलित करते हुए डिजाइन, "AGMARK" "ऐगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान होगा और उसके सदृश होगा जैसा अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु "ऐगमार्क" लेबल के बदले में 'ऐगमार्क' प्रतिकृति का उपयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिए अनुज्ञात होगा जिसे कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में आवेदन पर आवश्यक अनुज्ञा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 10 के अनुसार अनुदत्त की गई है।

6. पैक करने की रीति—(1) वसा विस्तारण केवल मुद्रांकित पैकेजों में पैक किया जाएगा। प्रत्येक पैकेज का भार 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम शुद्ध भार होगा।

(2) वसा विस्तारण भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर या केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास द्वारा पैकेजिंग के लिए उपयुक्त रूप में सम्यक् रूप से प्रमाणित और कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित टिब्बों, पैकेटों, टीनों या किसी अन्य पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(3) वसा विस्तारण निम्नलिखित पैकेजों में से किसी में पैक किया जाएगा :—

(क) डुप्लेक्स बोर्ड के डिब्बों में वनस्पति पार्चमेंट रैपर लपेट कर;

(ख) उपयुक्त अनुपूरक पैकेज सहित या रहित ऐलुमिनियम पर्ण रैपर; और

(ग) ऐलुमिनियम पर्ण या प्लास्टिक ढक्कन सहित मुद्रांकित खाद्य श्रेणी प्लास्टिक आधान।

(4) केवल भा.मा. 5818—1988 के अनुरूप 'खाद्य श्रेणी' कर्मक सहित स्वच्छ, ठोस और नए टीनों का, जिनके अंदर समुचित रूप से रोगन किया गया हो, उपयोग किया जाएगा और आधानों को टांका लगा कर या जोड़ मिला कर या दोनों प्रकार से बंद किया जाएगा। प्रत्येक टीन के शीर्ष और तल भाग पर स्वच्छ श्वेत धवल (न्यूट्रल) वनस्पति पार्चमेंट कागज से अस्तर लगाया जाएगा।

(5) उसी लाट के वसा विस्तारण से युक्त और "AGMARK" "ऐगमार्क" प्रतिकृति वाले 25 ग्राम के छोटे पैक 500 ग्राम से अनधिक शुद्ध भार में किसी प्रधान आधान में पैक किए जाएंगे, परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्रधान आधान को साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से पैक, मुद्रांकित और चिह्नांकित किया जाए।

(6) आधान कीट-ग्रसन, कवक, संदूषण या किसी घृणाजनक और अवांछनीय गंध से मुक्त होंगे।

(7) प्रत्येक पैकेज में केवल एक श्रेणी अभिधान का वसा विस्तारण होगा।

7. चिह्नांकन की रीति—(1) श्रेणी अभिधान कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से वसा विस्तारण के प्रत्येक आधान पर मजबूती से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रत्येक आधान पर स्पष्ट रूप से और अमिट रूप में अंकित की जाएंगी—

(क) पैकर का नाम और पता;

(ख) पैकिंग का स्थान;

(ग) लाट/बैच संख्यांक;

(घ) श्रेणी ; और

(ङ) शुद्ध भार;

(च) सभी करों सहित/रहित अधिकतम फुटकर कीमत।

(3) वसा विस्तारण से युक्त प्रत्येक पैकेज पर, यथास्थिति निम्नलिखित लेबलों में से कोई एक लेबल हो सकता है, अर्थात् :—

दुग्ध वसा विस्तारण

भार के अनुसार

कुल दुग्ध वसा अंतर्वस्तु ..... प्रतिशत।

पैकिंग की तारीख .....

..... के पहले उपयोग करें।

मिश्रित वसा विस्तारण

भार के अनुसार

कुल वसा अंतर्वस्तु ..... प्रतिशत।

भार के अनुसार दुग्ध वसा अंतर्वस्तु ..... प्रतिशत।

पैकिंग की तारीख .....

..... के पहले उपयोग करें।

वनस्पति वसा विस्तारण

भार के अनुसार

कुल वसा अंतर्वस्तु ..... प्रतिशत।

पैकिंग की तारीख .....।

..... के पहले उपयोग करें।

टिप्पण :—पैकिंग की तारीख नमूने के विश्लेषण के पूरा होने की तारीख होगी और वसा विस्तारण के 20 ग्राम शुद्ध भार से अधिक वाले सभी पैकेजों पर मास और वर्ष देकर उपदर्शित की जाएगी।

(4) जहां वसा विस्तारण में कोई खाद्य रंजक द्रव्य, अर्थात्, अन्नाटो या कैरोटीन मिलाया गया है, वहां उसे आधान पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित रीति से उपदर्शित किया जाएगा:—

इसमें अनुज्ञात रंग "अन्नाटो" "कैरोटीन" है।

(5) जहां वसा विस्तारण में कोई खाद्य वासक कारक, अर्थात् डाइ-ऐसीटल मिलाया गया है, वहां उसे आधान पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित रीति से उपदर्शित किया जाएगा :—

इसमें मिलाया गया वासक 'डाइ-ऐसीटल' है।

(6) उत्पाद पर लेबल लगाते समय 'मक्खन' शब्द को सहयुक्त या प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जिससे कि उपभोक्ता भ्रम में पड़ जाए।

(7) कोई प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न अंकित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि प्राइवेट व्यापार चिह्न उससे भिन्न क्वालिटी या श्रेणी घोषित न करे जो आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित है।

(8) प्राधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए विशेष शर्तें—साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में किसी बात के होते हुए भी, वसा विस्तारण के श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) प्राधिकृत पैकर एक ऐसे एकक का स्वामी न हो जिसमें वसा प्रसारण का विनिर्माण करने के लिए उपस्कर और मशीनरी हो;

(ख) प्राधिकृत पैकर प्राधिकृत परिसर में वसा विस्तारण के विनिर्माण में प्रयुक्त वनस्पति तेलों और मक्खन-घी की क्वालिटी की जांच करने और अंत्य उत्पाद का श्रेणीकरण करने के लिए सभी आवश्यक रसायनों और उपस्कर से पूरी तरह सज्जित प्रयोगशाला स्थापित न करे;

(ग) श्रेणीकरण प्रयोगशाला में कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ नियुक्त न हो :

परन्तु यदि कृषि विपणन सलाहकार आवश्यक समझे तो, वह किसी सरकारी रसायनज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा जिसके लिए प्राधिकृत पैकर को ऐसे प्रभार का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं, संदाय करना होगा।

(घ) वसा विस्तारण के प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए परिसर स्वच्छ, पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त, संवातित, समुचित रूप से सफेदी या रंगरोगन किया हुआ, वायु तथा धूल प्रदूषण से मुक्त न हो और उसका परिवेश ऐसी क्लेशकर, हानिकर या गंदी गंध या किन्हीं निस्सारणों से, जो उत्पाद संदूषण का कारण बने, उत्पन्न हो;

(ङ) एकक ऐसी स्थायी संरचना में स्थापित न किया गया हो जिसकी दीवारों और फर्शों पर भलीभांति सीमेंट लगा हो तथा दरवाजों और खिड़कियों में मक्खी तथा कीटरोधी तार की जाली लगी हो;

(च) मशीनरी और बर्तन स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर न हों और बर्तन स्टेनलेस स्टील के या खाद्य श्रेणी रेजिन-विलेपन के या फाइबर कांच से संसंचित न हों।

(छ) प्रयुक्त किया जाने वाला जल शुद्ध, पेय क्वालिटी का और विकृतिजन्य सूक्ष्मजीवों से मुक्त न हो ;

(ज) उच्छिष्ट जल के बहाव के लिए जल-निकास प्रणाली को समुचित रूप से बनाए न रखा गया हो ;

(झ) प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से एक प्रमाणपत्र न उपाप्त किया गया हो कि वसा विस्तारण के प्रसंस्करण और पैकिंग में लगे कार्मिक अच्छे स्वास्थ्य के और किन्हीं संक्रमों, सांसर्गिक और अन्य रोगों से मुक्त हैं।

9. प्राधिकार प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण के लिए अन्य शर्तें साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा यदि उसका धारक निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो जाता है:—

(i) रेजिन-विलेपित बर्तनों की दशा में, पुनर्विलेपन पहले पुनर्विलेपन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं किया गया है और पैकर ने उस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दिया है;

(ii) वसा विस्तारण का प्रसंस्करण करने में प्रयुक्त जल की रासायनिक और जैव अशुद्धियों के लिए लोक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्रत्येक तिमाही में परीक्षा नहीं करायी गई है और इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है कि जल मानव उपभोग के लिए ठीक है;

(iii) वसा विस्तारण के प्रसंस्करण और पैकिंग में लगे कार्मिक की प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रति वर्ष चिकित्सक दृष्ट्या जांच नहीं कराई गई है और उस आशय का प्रमाणपत्र उपाप्त नहीं किया गया है और मांग की जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(iv) कार्मिक का वर्ष में एक बार आंत्र समूह के रोगों के विरुद्ध इनोकुलेशन नहीं किया गया है और टीका नहीं लगाया गया है और उसका प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है। कार्मिक को चेचक के विरुद्ध भी टीका नहीं लगाया गया है और ऐसे व्यक्ति को, जिसके शरीर पर क्षति और पट्टी या प्लास्टर है, उत्पाद हथालने के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है;

(v) प्राधिकृत पैकर द्वारा अनुमोदित रसायनज्ञ को नियमों के अधीन वसा विस्तारण का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और सहायता उपलब्ध नहीं की गई है;

(vi) वसा विस्तारण के प्रसंस्करण में प्रयुक्त दुग्ध वसा या वनस्पति तेलों और उनके विश्लेषण का उचित अभिलेख नहीं रखा गया है तथा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए सुसंगत श्रेणीकरण और चिह्नांकन अनुदेशों में विहित प्रोफार्मा में कालिक विवरणियां विहित अवधि के भीतर विपणन और निरीक्षण निदेशालय को नहीं दी गई हैं :

परन्तु इस नियम के अधीन प्राधिकार प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 7 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

अनुसूची 1

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

ऐगमार्क के अधीन दुग्ध वसा विस्तारण के श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं			
	भार के अनुसार आर्द्रता प्रतिशत	भार के अनुसार वसा प्रतिशत	भार के अनुसार असाबुनीकरणीय द्रव्य (निम्नलिखित से अनधिक)	निष्कर्षित वसा का अम्ल मान (निम्नलिखित से अनधिक)
1	2	3	4	5
श्रेणी 1	16.0 से 36.0 तक	60.1 से 80.0 तक	1.0	0.25
श्रेणी 2	36.1 से 56. तक	40.0 से 60.0 तक	1.0	0.50

वर्णन	सामान्य अपेक्षाएं
6	7
श्रेणी 1-- यह मक्खन के समरूप वांछित गाढ़ापन तक उत्पादित किसी जलीय प्रावस्था और दुग्ध वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में उत्पाद होगा। निर्मित में प्रयुक्त दुग्ध-वसा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन 'घी' के लिए अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।	1. उत्पाद जांतव शरीर वसा, खनिज तेल, वनस्पति तेल और लाक्षा से मुक्त होगा। 2. उत्पाद अनुज्ञात भोज्यों से भिन्न किन्हीं विजातीय पदार्थों से मुक्त होगा और किन्हीं अमिश्रकों और संदूषकों से मुक्त होगा।
श्रेणी 2-- यह मक्खन के समरूप वांछित गाढ़ापन तक उत्पादित किसी जलीय प्रावस्था और दुग्ध वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में उत्पाद होगा। निर्मित में प्रयुक्त दुग्ध-वसा खाद्य मिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन 'घी' के लिए अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।	3. उत्पाद किसी आपत्तिजनक गंध, हानिकारक पदार्थों, घृणाजनकगंध और विषैले पदार्थों से मुक्त होगा। 4. उत्पाद का रंग एकरूपात्मक गठन और आभास का होगा। 5. उत्पाद में भार के अनुसार प्रति दस लाख 100 भागों से अन्यून और प्रति दस लाख 150 भागों से अनधिक खाद्य स्टार्च होगा। 6. उत्पाद के लिए वैकल्पिक भोज्य के संबंध में अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन निम्नलिखित सुसंगत उपबंधों के अनुरूप होगी, अर्थात् :— उत्पाद में निम्नलिखित हो सकेगा — (i) जलीय प्रावस्था में भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अनधिक खाद्य सामान्य नमक; (ii) मिल्क सालिड्स-वसा नहीं ; (iii) डाइसिटोल के सिवाय, जिसका सांद्रण भार के अनुसार प्रति दस लाख 4.0 भागों से अनधिक हो कोई सुवासक कारक नहीं; (iv) अनुज्ञात पायसीकारक और स्थायीकारक; (v) अनुज्ञात प्रति आक्सीकारक, (अर्थात् ब्यूटीलित हाइड्राक्सी-एनिसोल (बी.एच.ए.) या टर्टियरी ब्यूटिल हाइड्रो क्विनाइन (टी.बी.एच.क्यू) जो सांद्रण में विस्तारण की वसा अंतर्वस्तु के 0.02 प्रतिशत से अधिक न हो।

7

(vi) अनुज्ञात वर्ग 2 परिरक्षी , अर्थात्, सोर्बिक अम्ल, इसके अंतर्गत (सोर्बिक अम्ल के रूप में परिकलित) उसका सोडियम, पोटाशियम और कैल्सियम नमक भी है या बेंजोइक अम्ल और (बेंजोइक अम्ल के रूप में परिकलित) उसका सोडियम और पोटाशियम नमक या दोनों, जो सांद्रण में भार के अनुसार प्रति दस लाख 1000 भागों से अनधिक हो;

(vii) अनुज्ञात पृथक्करण कारक; और

(viii) आन्नाटो और/या कैरोटिन के सिवाय कोई अन्य रंजक कारक नहीं ।

अनुसूची 2

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

मिश्रित वसा विस्तारण के श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं			
	भार के अनुसार आर्द्रता प्रतिशत	भार के अनुसार वसा प्रतिशत	भार के अनुसार असाबूनीकरणीय द्रव्य (निम्नलिखित से अनधिक)	निष्कर्षित वसा का अम्ल मान (निम्नलिखित से अनधिक)
1	2	3	4	5
श्रेणी 1	16.0 से 36.0 तक	60.1 से 80.0 तक	1.0	0.25
श्रेणी	36.1 से 56.0 तक	40.0 से 60.0 तक	1.00	0.50

वर्णन	सामान्य अपेक्षाएं
6	7
श्रेणी 1-- यह किसी जलीय प्रावस्था और मिश्रित वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में हाइड्रोजन-शोधित, हाइड्रोजन-अशोधित परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों में से किसी एक या अधिक या अन्तःएसटरित वसा सहित दुग्ध वसा से मिलकर बना उत्पाद होगा । निर्मिति में प्रयुक्त दुग्ध वसा और वनस्पति तेल वसा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन क्रमशः घी और वनस्पति तेलों के लिए अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।	1. उत्पाद जांतव शरीर वसा, खनिज तेल और लाक्षा से मुक्त होगा
	2. उत्पाद अनुज्ञात भोज्यों से भिन्न किन्हीं विजातीय पदार्थों से मुक्त होगा और किन्हीं अपमिश्रकों और संदूषकों से मुक्त होगा ।
	3. उत्पाद किसी आपत्तिजनक गंध, हानिकारक पदार्थों, घृणाजनक गंध और विषैले पदार्थों से मुक्त होगा ।
	4. उत्पाद का रंग एकरूपात्मक अस्पष्ट और आभास का होगा ।
	5. उत्पाद में भार के अनुसार प्रति दस लाख 100 भागों से अन्यून और प्रति दस लाख 150 भागों से अनधिक खाद्य स्टार्च होगा ।
	6. उत्पाद के लिए वैकल्पिक भोज्यों के संबंध में अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन निम्नलिखित सुसंगत उपबंधों के अनुरूप होंगी, अर्थात् :--
	उत्पाद में निम्नलिखित हो सकेगा--
	(i) जलीय प्रावस्था में भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अनधिक खाद्य सामान्य नमक;
श्रेणी 2-- यह किसी जलीय प्रावस्था और मिश्रित वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में हाइड्रोजन-शोधित, हाइड्रोजन-अशोधित परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों में से किसी एक या अधिक या अन्तःएसटरित वसा सहित दुग्ध वसा से मिलकर बना उत्पाद होगा । निर्मिति में प्रयुक्त दुग्ध वसा और वनस्पति तेल वसा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन क्रमशः घी और वनस्पति तेलों के लिए अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।	

7

(ii) मिल्क सालिड्स—वसा नहीं;

(iii) डाइसिटील के सिवाय, जिसका सांद्रण भार के अनुसार प्रति दस लाख 4.0 भागों से अनधिक हो, कोई सुवासक कारक नहीं ;

(iv) अनुज्ञात पायसीकारक और स्थायीकारक;

(v) अनुज्ञात प्रतिआक्सीकारक अर्थात्, ब्यूटीलित हाइड्रोक्सीएनिसोल (बी.एच.ए.) या टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रो क्विनाइन (टी. बी.एच.क्यू.) जो सांद्रण में विस्तारण की वसा अंतर्वस्तु के 0.02 प्रतिशत से अधिक न हो;

(vi) अनुज्ञात वर्ग 2 परिरक्षी, अर्थात्, सोर्बिक अम्ल, इसके अंतर्गत (सोर्बिक अम्ल के रूप में परिकलित) उसका सोडियम, पोटाशियम और कैल्सियम नमक भी है या बेंजोइक अम्ल और (बेंजोइक अम्ल के रूप में परिकलित) उसका सोडियम और पोटाशियम नमक या दोनों, जो सांद्रण में भार के अनुसार प्रति दस लाख 1000 भागों से अनधिक हों;

(vii) अनुज्ञात पृथक्करण कारक; और

(viii) आन्नाटो और/या कैरोटिन के सिवाय कोई अन्य रंजक कारक नहीं।

अनुसूची-3

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

वनस्पति वसा विस्तारण के श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं			
	भार के अनुसार आर्द्रता प्रतिशत	भार के अनुसार वसा प्रतिशत	भार के अनुसार असाबूनीकरणीय द्रव्य (निम्नलिखित से अनधिक)	निष्कर्षित वसा का अम्ल मान (निम्नलिखित से अनधिक)
1	2	3	4	5
श्रेणी 1	16.0 से 36.0 तक	60.1 से 80.0 तक	1.5	0.25
श्रेणी 2	36.1 से 56.0 तक	40.0 से 60.0 तक	1.5	0.50

वर्णन	सामान्य अपेक्षाएं
6	7

6 — वर्णन

यह मक्खन के समरूप वांछित गाढ़ापन तक उत्पादित किसी जलीय प्रावस्था और वनस्पति वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में हाइड्रोजन-शोधित, हाइड्रोजन-अशोधित परिष्कृत वनस्पति तेलों में किन्हीं दो या अधिक के मिश्रण या अन्तःएस्टरित वसा से मिल कर बना उत्पाद होगा। निर्मिति में प्रयुक्त वनस्पति तेल खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

यह मक्खन के समरूप वांछित गाढ़ापन तक उत्पादित किसी जलीय प्रावस्था और वनस्पति वसा प्रावस्था के किसी पायस रूप में हाइड्रोजन-शोधित, हाइड्रोजन-अशोधित परिष्कृत वनस्पति तेलों में किन्हीं दो या अधिक के मिश्रण या अन्तःएस्टरित वसा से मिल कर बना उत्पाद होगा। निर्मिति में प्रयुक्त वनस्पति तेल खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुबद्ध क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

7 — सामान्य अपेक्षाएं

1. उत्पाद जान्तव शरीर वसा, खनिज तेल और मोम से मुक्त होगा।
2. उत्पाद अनुज्ञात भोज्यों से भिन्न किन्हीं विजातीय पदार्थों से मुक्त होगा और किन्हीं अपमिश्रकों और संदूषकों से मुक्त होगा।
3. उत्पाद किसी आपत्तिजनक गंध, हानिकारक पदार्थों, घृणाजनक गंध और विषैले पदार्थों से मुक्त होगा।
4. उत्पाद का रंग एक रूपात्मक अप्रयन और आभास का होगा।
5. उत्पाद में भार के अनुसार प्रति दस लाख 100 भागों से अन्यून और प्रति दस लाख 150 भागों से अनधिक खाद्य स्टार्च होगा।
6. उत्पाद के लिए वैकल्पिक भोज्यों के संबंध में अपेक्षाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन निम्नलिखित सुसंगत उपबंधों के अनुरूप होंगी, अर्थात् :—

   उत्पाद में निम्नलिखित हो सकेगा—

   (i) जलीय प्रावस्था में भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अनधिक खाद्य सामान्य नमक;

   (ii) मिल्क सालिड्स-वसा नहीं;

   (iii) डाइसिटील के सिवाय, जिसका सांद्रणभार के अनुसार प्रति दस लाख 4.0 भागों से अनधिक हो कोई सुवासक कारक नहीं;

   (iv) अनुज्ञात पायसीकारक और स्थायीकारक;

   (v) अनुज्ञात प्रति आक्सीकारक, अर्थात् ब्यूटीलिट हाइड्राक्सीएनिसोल (बी.एच.ए) या टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रो क्विनाइन (टी.बी.एच.क्यू.) जो सांद्रण में विस्तार की वसा अंतर्वस्तु के 0.02 प्रतिशत से अधिक न हो;

   (vi) अनुज्ञात वर्ग 2 परिरक्षी, अर्थात सोर्बिक अम्ल, इसके अंतर्गत (सोर्बिक अम्ल के रूप में परिकल्पित) उसका सोडियम, पोटाशियम और कैल्सियम नमक भी है या बेंजोइक अम्ल और (बेंजोइक अम्ल के रूप में परिकल्पित) उसका सोडियम और पोटाशियम नमक या दोनों, जो सांद्रण में भार के अनुसार प्रति दस लाख 1000 भागों से अनधिक हो;

   (vii) अनुज्ञात पृथक्करण कारक; और

   (viii) आन्नाटे और/या कैरोटिन के सिवाय कोई अन्य रंजक कारक नहीं।

7. उत्पाद में कच्चा या परिष्कृत सिसम (तिल) तेल पर्याप्त मात्रा में होगा जिससे कि अब सप्रेटा वसा परिष्कृत मूंगफली तेल के साथ 20:80 के अनुपात में मिलाया जाए तो, बोडा परीक्षण द्वारा उत्पन्न लाल रंग लोवीबांड मापमान पर 1 सेंटीमीटर सेल में मापित 2.5 रेड यूनिटों से हल्का न हो।
8. उत्पाद में पैकिंग के समय प्रति ग्राम संश्लिष्ट विटामिन 'ए' का कम से कम 25 अन्तरराष्ट्रीय यूनिटें होंगी और जब उसका भा. मा. 5886—1970 के अधीन विहित पद्धति के अनुसार एंटिमनी ट्रिक्लोराइड (कारकप्राइस) रिजेंट द्वारा परीक्षण किया जाए तो वह विटामिन 'ए' के लिए पॉजिटिव परीक्षण दर्शित करेगा।
9. केशिका स्लिप पद्धति द्वारा निष्कर्षित वसा का गलनांक 37° सी से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची IV

[नियम 5 देखिए]

(ऐगमार्क लेबल पर डिजाइन)

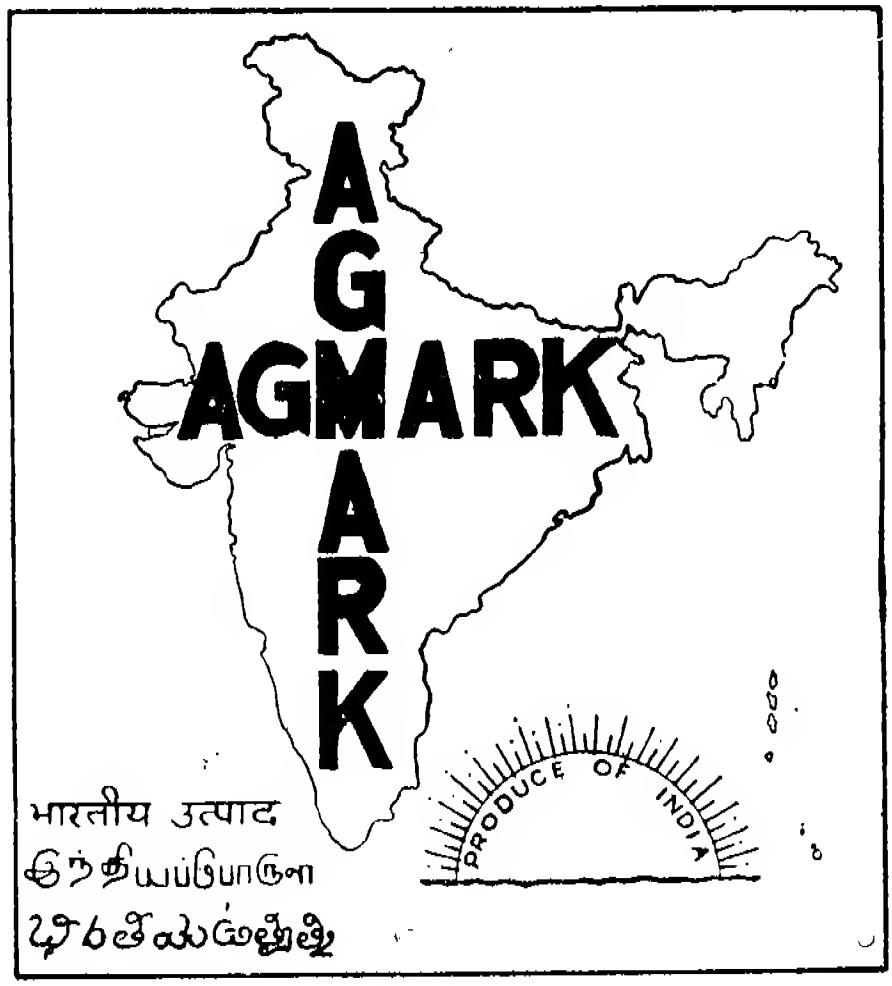

अनुसूची V

[नियम 5 देखिए]

(ऐगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन)

वस्तु का नाम : वसा विस्तारण

श्रेणी :

[सं० ए-45011/92-एम II]

बी. ज्योति राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1994

Fat Spread Grading and Marking Rules, 1993

G.S.R. 115(E).—The following draft of the Fat Spread Grading and Marking Rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published, as required by the said section, for information of all the persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desiring to make any suggestion or objections in respect of the said draft rules may forward the same, for consideration by the Central Government, within the period so specified above to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Central Government Offices, New Building, Neighbourhood 4, FARIDABAD (Haryana)-121001 who shall forward the same to the Central Government for consideration;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Fat Spread Grading and Marking Rules, 1993.

(2) They shall apply to the Fat Spread produced in India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(2) "Authorised Packer" means a person or a body of persons, who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Fat Spread in accordance with the grade standards and procedures prescribed under these rules;

(3) "Certificate of authorisation" means a certificate issued under rule 3 of the General Grading and marking Rules, 1988;

(4) "Fat Spread" means a product in the form of water in oil emulsion of an aqueous phase and a fat phase of edible oils and fats excluding animal body fats;

(5) "Foreign Substances" means any substances other than the addibles and ingredients permissible under these rules; and

(6) 'Schedule" means Schedules annexed to these rules.

3. Grade designations.—For the purpose of these rules the grade designations shall be the names of the grades which indicate the quality of fat spreads as given under column 1 of the Schedules I, II and III.

4. Definition of quality.—For the purpose of these rules the definition of the quality shall be such as given against each grade designation in columns (2) to (7) of the Schedules I, II and III.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of—

(1) A label specifying name of the commodity, grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and the figure of rising sun with the words "Produce of India" and " भारतीय उत्पादन " resembling the one as set out in Schedule IV; or

(2) "AGMARK" replies consisting of design incorporating the number of certificate of authorisation, the word "AGMARK" the name of the commodity, the grade designation and resembling the one as specified in Schedule V:

Provided that the use of "AGMARK" replica in lieu of 'AGMARK' label shall be allowed only to such authorised packers who has been granted necessary permission on application in writing, by the Agricultural Marketing Adviser or an officer duly authorised in this regard as per rule 10 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of Packing.—(1) Fat Spread shall be packed only in sealed packages each weighing 25 gms. 100 gms., 200 gms., 250 gms. or 500 gms. net weight.

(2) Fat Spread shall be packed in cartons, packets, tins or any other packing materials duly certified as suitable for the packaging by the Indian Institute of Packaging, Bombay or Central Food Technological Research Institute, Mysore or Central Institute of Plastic Engineering Technology, Madras and approved by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf as per rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(3) Fat Spread shall be packed in any of the following packages;—

(a) Vegetable parchment wrapper encased in duplex board cartons;

(b) Aluminium foil wrapper with or without suitable secondary package; and

(c) Food grade plastic containers sealed with aluminium foil or plastic lid.

(4) Only clean, sound and new tins properly lacquered on the inside with the 'food grade' agents conforming to IS: 5818-1988 shall be used and the containers shall be closed either by soldering or seaming or both. The top and bottom of each tin shall be lined with clean hard neutral vegetable parchment paper.

(5) Small packs of 25 gms. containing Fat Spread of same lot and bearing AGMARK Replica shall be packed in a master container not exceeding 500 gms. in net weight provided such master containers is packed, sealed and marked in the manner specified under rule 11 of the General Grading and Marking Rates, 1988.

(6) The containers shall be free from insect infestation,
(6) The containers shall be free fro minsect infestation, smell.

(7) Each package shall contain Fat Spread of one grade designation only.

7. Method of marking.—(1) A grade designation shall be securely affixed to or printed on each container of Fat Spread in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each container—

(a) Name and address of the packer;

(a) Name and address of the packer;

(c) Lot|Batch Number;

(d) Grade; and

(e) Net weight;

(f) Maximum retail inclusive/exclusive of all thing.

(3) Every package containing fat spread shall, as the case may be carry any one of the following labels namely :—

Milk Fat Spread

Total Milk Fat content——————————percent by weight

Date of Packing——————————

Use before——————————

Mixed Fat Spread

Total Fat content——————————percent by weight

Milk Fat content——————————percent by weight.

Date of Packing——————————

Use before——————————

Vegetable Fat Spread

Total Fat content——————————percent by weight

Date of Packing——————————

Use before——————————

Note :—Date of packing shall be the date of completion of analysis of sample and is indicated by month and year on all packages containing more than 20 gms. net weight of Fat Spread.

(4) Where an extraneous colouring matter i.e. annatto or carotene is added to Fat Spread, it shall be indicated in bold letters on the container in the following manner :—

CONTAINS PERMITTED COLOUR "ANNATTO" "CAROTENE"

(5) Where an extraneous flavouring agent i.e. Diacetyl is added to Fat Spread, it shall be indicated in bold letters on the container in the following manner :—

CONTAINS ADDED FLAVOUR 'DIACETYL'

(6) The word 'Butter' shall not be associated or used while labelling the product so as to mislead the consumers.

(7) An authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authirised by him in this behalf, in accordance with rule 11 of General Grading and Marking Rules, 1988, mark his private trade mark on the container provided that the private trade mark does or represent quality or grade, different from that indicated by the grade designation mark, affixed to the container.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation.—Notwithstanding anything contained in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the certificate of authorisation for grading and marking of Fat Spread shall not be granted unless,—

(a) the authorised packer does not own a unit consisting of equipment and machinery for manufacturing Fat Spread;

(b) the authorised packer does not set up in the authorised premises a fully equipped laboratory with all necessary chemicals and apparatus for testing the quality of vegetable oils and butterlghee used in the manufacture of Fat Spread and grading the end product;

(c) the grading laboratory is not manned by a qualified chemists, approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988:

Provided that the Agricultural Marketing Adviser may, if he considers necessary, provide the services of a Government chemist for which the authorised packer shall have to pay such charges as may be prescribed, from time to time, by the Central Government.

(d) the premises for processing and packing of Fat Spread are not clean, adequately lighted, ventilated, necessary chemicals and apparatus for testing the dust pollution and the surroundings are exposed to any offensive, noxious or foul smell or any emanations leading to the product contamination;

(e) the unit is not set up in a permanent structure with well cemented walls and floors having doors and windows fitted with fly and insect proof wiremesh;

(f) the machinery and utensils are not clean and hygienic and the utensils are not stainless steel or of food grade resin-coating or impregnated with fibre glass;

(g) the water proposed to be used is not pure, of potable quality and free from pathological micro-organisms;

(h) the drainage system for flow of refuse water is not properly maintained;

(i) a certificate has not been procured from the authorised Medical Officer that the personnel engaged in processing and packing of Fat Spread are of sound health and free from any infactions, contagious and other diseases;

9. Other conditions for suspension or cancellation of Certificate of Authorisation.—Notwithstanding anything contained in rule 7 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the certificate of authorisation shall be suspended or cancelled if a holder of the same fails to comply with the following additional conditions :—

(i) in the case of resin-coated utensils, recoating have not been done before the expiry of a period of three years after previous recoating and the packer have not furnished a certificate to that effect ;

(ii) the water used in processing fat spread have not been got examined in every quarter from the public local health authorities for chemical and biological impurities and a certificate have not been obtained to the effect that the water is fit for human consumption;

(iii) the personnel engaged in processing and packing of fat spread have not got medically checked up annually from the authorised Medical Officer and a certificate to that effect have not been procured and produced on demand;

(iv) the personnel have not been inoculated against the enteric group of diseases and vaccinated against it once in a year and a certificate thereof have not been obtained. The personnel have not also been vaccinated against small pox and the person with injury on the body and a bandage or plaster thereover is being permitted to handle the product;

(v) all necessary facilities and assistance to the approved chemist for carrying out the grading and making of fat spread under the rules have not provided by the authorised packer ;

(vi) the proper record of milk fat or vegetable oils used in processing the fat spread and their analysis have not maintained and a periodical returns to the Directorate of Marketing and Inspection in the proforma prescribed in the relevant grading and marking instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser as per sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988 have not submitted within the prescribed period;

Provided that for suspension or cancellation of a certificate of Authorisation under this rule, the procedure as laid down under rules 7 of the General Grading and Marking Rule, 1988, shall be complied with.

SCHEDULE-I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Milk Fat Spread under Agmark.

Grade designation	Sepcial requirements			
	Moisture percent by weight	Fat percent by weight	Unsaponifiable matter percent by weight (Not more than)	Acid value of extracted fat (Not more than)
1	2	3	4	5
Grade I	16.0 to 36.0	60.1 to 80.0	1.0	0.25
Grade II	36.1 to 56.0	40.0 to 60.0	1.0	0.50

Description	General requirements
6	7
Grade I—It shall be the product in the form of an emulsion of an aqueous phase and milkfat phase produced to the desired consistency similar to butter. The milk-fat used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated for 'ghee' under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.	1. The product shall be free from animal body fat, mineral oil vegetable oil and wax. 2. The product shall be free from any foreign substances other than those additives permitted and shall be free from any adulterants and contaminants. 3. The product shall be free from any objectionable odour, deleterious substances, bonoxious smell and poisonous substances. 4. The product shall have uniform texture and appearance or colour. 5. The product shall contain edible starch not less than 100 parts per million and not more than 150 parts per million by weight. 6. The requirements regarding optional additives to the product shall conform to the following relevant provisions under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :— The product may contain— (i) edible common salt not exceeding 2 percent by weight in aqueous phase; (ii) milk solids-not-fat; (iii) no flavouring agent except diacetyl whose concentration may not exceed 4.0 parts per million by weight; (iv) permitted emulsifiers and stabilisers; (v) permitted anti-oxidants, namely, Butylated Hydroxy Anisole (BHA) or Tertiary Butyl Hydro Quinone (TBHQ) not exceeding in concentration 0.02 percent of the fat content the Spread; (vi) permitted class II preservatives namely Sorbic acid including its Sodium, Potassium and Calcium salts (Calculated as Sorbic acid) or Benzoic acid and its Sodium and Potassium salts (Calculated as Benzoic acid) or both not exceeding in concerntration of 1000 parts per million by weight; (vii) permitted sequestering agents; and (viii) no other colouring agents except Annatto and/or Carotene
Grade II—It shall be the production the form of an emulsion of an aqueous phase and milk-fat phase produced to the desired consistency similar to butter. The milk-fat used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated for 'ghee' under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.	

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Mixed Fat Spread.

Grade designation	Special requirements			
	Moisture percent by weight	Fat percent by weight	Unsaponifiable matter percent by weight (Not more than)	Acid value of extracted fat (Not more than)
1	2	3	4	5
Grade I	16.0 to 36.0	60.1 to 80.0	1.0	0.25
Grade II	36.1 to 56.0	40.0 to 60.0	1.0	.0.50

Description	General requirements
6	7
Grade I—It shall be the product in the form of an emulsion of an aqueous phase and mixed fat phase consisting of milk-fat with any one or more of hydrogenated, unhydrogenated refined edible vegetable oils or interesterified fat. The milk-fat and the vegetable oil fats used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated for ghee and vegetable oils respectively under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.	1. The product shall be free from animal body fat, mineral oil and wax. 2. The product shall be free from any foreign substances other than those additives permitted and shall be free from any adulterants and contaminants. 3. The product shall be free from any objectionable odour, deleterious substances, obnoxious smell and poisonous substances. 4. The product shall have uniform texture and appearance in colour. 5. The product shall contain edible starch not less than 100 parts per million and not more than 150 parts per million by weight.
Grade-II—It shall be the product in the form of an emulsion of an aqueous phase and mixed fat phase consisting of milk fat with any one or more of hydrogenated, unhydrogenated refined edible vegetable oils or interesterified fat. The milk-fat and the vegetable oil fats used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated for ghee and vegetable oils respectively under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.	6. The requirements regarding optional additives to the product shall conform to the following relevant provisions under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :— The product may contain— (i) edible common salt not exceeding 2 percent by weight in aqueous phase; (ii) milk solids-not-fats (iii) no flavouring agent except diacetyl whose concentration may not exceed 4.0 parts per million by weight; (iv) permitted emulsifers and stabilisers; (v) permitted antioxidants, namely, Butylated Hydroxy Anisole (BHA) or Tertiary Butyl Hydro Quinone (TBHQ) not exceeding in concentration upto 0.02 percent of the fat content of the Spread; (vi) permitted class II preservatives namely Sorbic acid including its Sodium, Potassium and Calcium salts (Calculated as Sorbic acid) or Benzoic acid and its Sodium and Potassium salts (Calculated as Benzoic acid) or both not exceeding in concentration of 1000 parts per million by weight; (vii) permitted sequestering agents; and (viii) no other colouring agents except Annatto and/or Carotene.

SCHEDULE-III

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Vegetable Fat Spread.

Grade designation	Special requirement				Description
	Moisture percent by weight	Fat percent by weight	Unsaponifiable matter percent by weight (not more than)	Acid value of extracted fat (not more than)	
1	2	3	4	5	6
Grade I	16.0 to 36.0	60.1 to 80.0	1.5	0.25	It shall be the product in the form of an emulsion of an aqueous phase and vegetable fat phase consisting of a mixture of any two or more of hydrogenated, unhydrogenated refined vegetable oils or interesterified fat produced to the desired consistency similar to butter. The vegetable oils used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.
Grade II	36.1 to 56.0	40.0 to 60.0	1.5	0.50	It shall be the product in the form of an emulsion of an aqueous phase and vegetable fat phase consisting of a mixture of any two or more of hydrogenated, unhydrogenated refined vegetable oils or interesterified fat produced to the desired consistency similar to butter. The vegetable oils used in the preparation shall conform to the quality requirements stipulated under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

General requirements

7

1. The product shall be free from animal body fat, mineral oil, and wax.
2. The product shall be free from any foreign substances other than those additives permitted and shall be free from any adulterants and contaminants.
3. The product shall be free from any objectionable odour, deleterious substances, obnoxious smell and poisonous substances.
4. The product shall have uniform texture and appearance in colour.
5. The product shall contain edible starch not less than 100 parts per million and not more than 150 parts per million by weight.
6. The requirements regarding optional additives to the product shall conform to the following relevant provisions under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—
   (i) The product may contain edible common salt not exceeding 2 percent by weight in aqueous phase;
   (ii) milk solids—not-fat;
   (iii) no flavouring agent except diacetyl whose concentration may not exceed 4.0 parts per million by weight;
   (iv) permitted emulsifiers and stabilisers;
   (v) permitted anti-oxidents namely Butylated Hydroxy Anisole (BHA) or Tertiary Butyl Hydro Quione (TBHQ) not exceeding in concentration upto 0.02 percent of the fat content of the Spread;
   (vi) permitted class II preservatives namely Sorbic acid including the Sodium, Potassium and Calcium salts (Calculated as Sorbic acid) or Benzoic acid and its Sodium and Potassium salts (Calculated as Benzoic acid) or both, not exceeding in concentration of 1000 parts per million by weight;
   (vii) permitted sequestering agents; and
   (viii) no other colouring agents except Annatto and/or Carotene.
7. The product shall contain raw or refined Sesasame (Til) oil in sifficient quantity so that when separated fat is mixed with refined Groundnut oil in the proportion of 20 : 80, the red colour produced by Baudouin's test shall not be lighter than 2.5 red units measured in 1 centimeter cell on Lovibond scale.
8. The product shall contain not less than 25 International Units of syntehtic Vitamin 'A' per gram at the time of packing and shall show a positive test for Vitamin 'A' when tested by Antimony Trichloride (Carrprice) reagent, as per method prescribed under I.S. 5886-1970.
9. The melting point of extracted fat by capillary slip method shall not be more than 37° C.

SCHEDULE IV
(See Rule 5)
Design on the AGMARK Label

SCHEDULE V
(See Rule 5)
Design of AGMARK Replica

Name of Commodity : Fat Spread

Grade :

[No. 45012/11/92-M-II]
P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994